

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, शेखपुरा के ज्ञापक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 03 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबन्ध)/ दावेदार/आ० नं०	अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मो० नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता/ असाध्य रोग का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	स्व० गोवर्धन मोंझी, 42, गंगो मोंझी, अनु० जाति	लाछो देवी, (पत्नी) 9484442194 43	999 31.12.2025	गा०-हजरतपुर मड़रो, पो०-वृन्दावन, था०-कसार, प्र०-अरियरी, जिला-शेखपुरा, 9284285452	39358630 823	SBI SBIN0006 617	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईंट निर्माण में मजदूर का कार्य
2	स्व० उत्तम साव, 64, किशुन साह, अ०पि० वर्ग	सीता देवी, (पत्नी) 7719946173 57	1000 31.12.2025	गा०-उसरी, था०-कसार, प्र०-अरियरी, जिला-शेखपुरा, 9891726933	45921011 0012810	BOI BKID0004 592	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बोरा लाने उतारे का कार्य
3	स्व० रवि चौधरी, 32, गौरी चौधरी, अनु० जाति	शर्वाील देवी, (पत्नी) 9752202225 32	1001 31.12.2025	गा०-दुल्हापुर, था०+पो०-हथियावाँ, प्र०-शेखपुरा सदर, जिला-शेखपुरा, 9724993382	54691010 02830	CANRA BANK CNRB000 5469	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, टोटो रिक्शा चालक का कार्य

कुल:- रु० 1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-63/2025 (अंश)-१३३

पटना, दिनांक :- १३/०१/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, शेखपुरा/उप श्रमायुक्त, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आगत सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 18-02-2026 10:10:59

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Signed by Rajesh Bharti

Date: 23-02-2026 10:06:22

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक